राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 531 / 2017 / झुन्झुनु

प्यारेलाल पुत्र श्री भोगुराम
मार्फत
न्यू जोधपुर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी
खन्ना मार्केट, तीस हजारी
दिल्ली । ......अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्य कर अधिकारी,
प्रथम, वृत प्रतिकरापवंचन झुंझुनु। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत अभिभाषक ....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री एन.के वैद,
उप राजकीय अभिभाषक .... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18 / 04 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 460 / अपील्स–प्रथम / आर वेट / जयपुर 16–17 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम, वृत प्रतिकरापंवचन झुन्झुनु (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 3,72,552 / – को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी घट द्वितीय वृत प्रतिकरापंवचन झुंझुनु द्वारा दिनांक 13 / 01 / 2017 को ट्रांसपोर्ट चैंकिग के दौरान वाहन संख्या आर.जे 18 जी.ए 5869 को मलसीसर पुलिस थाने के पास चैक किया गया। वाहन चालक एंव माल प्रभारी श्री प्यारे लाल ने जांच अधिकारी के समक्ष वाहन में लदे परचुन माल का परिवहन दिल्ली से नागौर, नौखा एंव बीकानेर के लिये किया जाना जाहिर किया गया। अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिल व बिल्टियों के संदिग्ध प्रतीत होने के कारण वाहन को निरूध किया गया। वाहन मे लदे माल के भौतिक सत्यापन एंव मूल्यांकन हेतु वाणिज्यक कर अधिकारी वृत प्रतिकरापंवचन झुंझुनु द्वारा लिखित निवेदन पर उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर द्वारा दिनांक 16 / 01 / 2017 को टीम गठित की गई, जिन पर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक द्वारा जरिये पत्र दिनांक 18 / 01 / 2017 को आपति दर्ज करायी गई, जिसे उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर द्वारा 20 / 01 / 2017 को अस्वीकार कर दिया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड, के समक्ष प्रस्तुत की है।

लगातार............2

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय प्राधिकारी व सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से कायम मांग राशि अपास्तनीय है। अपील आधारों को दोहराते हुए कथन किया कि वाहन चालक द्वारा माल चैकिंग के दौरान ही समस्त दस्तावेज यथा बिल व बिल्टी उपलब्ध करायी जाकर धारा 76(2) की पालना कर दी गई थी। अग्रिम कथन किया कि अभियोजन अधिकारी द्वारा उन्हे प्रदत शक्तियों का उल्लघंन करते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही वाहन की जांच व पश्चात्वर्ती कार्यवाही की गई है जो बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्तनीय है। चूंकि परिवहनित माल के सबंध में भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन विधिक रूप से व निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है जिससे माल व मूल्य संबधी विवाद उत्पन्न हुआ है। उनका यह भी कथन है कि आईटम नं. 26 व 42 वाहन में उपलब्ध नहीं था फिर भी सशक्त अधिकारी द्वारा उनका मूल्यांकन मनगढन्त रूप से किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः सही मूल्यांकन करवाने का निवेदन किया।

4. विभागीय उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी व सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य विवादित बिंदु माल के भौतिक सत्यापन एंव मूल्यांकन से संबधित है। उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश कंमाक 1401 दिनांक 16/01/2017 द्वारा गठित टीम में निम्न अधिकारियों को शामिल किया गया था:–

(i)श्रीमती सुमन बुडानिया स.वा.क.अ झुंझुनु।
(ii) श्री चंद माहीच, क.वा.क.अ झुंझुनु।
(iii) श्री श्रीपाल सिंह क.वा.क.अ एई झुंझुनु।
(iv) श्री कन्हैया लाल क.वा.क.अ एई झुंझुनु।

उक्त भार वाहन में लदे माल के भौतिक सत्यापन में श्री नासिर अली, स.वा.क.अ.द्वितीय,करापवंचन,झुंझुनू इनका सहयोग करेंगे।

दिनांक 18,01,2017 व 19.01,2017 को वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापंवचन झुझंनु को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा उपरोक्त गठित टीम में क्रं सं. 3 व 4 पर अविश्वास प्रकट करते हुए न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उन्हें टीम से हटाने का निवेदन किया।

अतः प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में उपायुक्त (प्रशासन) को निर्देश दिये जाते है कि वह दिनांक 16.01.2017 के द्वारा सत्यापन हेतु गठित टीम में श्रीमती सुमन बुडानिया स.वा.क.अ झुंझुन, श्री चंद माहीच, क.वा.क.अ झुंझुनु व श्री श्रीपाल सिंह क.वा.क.अ एई झुंझुनु को नियुक्त किया जावे। वक्त जांच वाहन में आइटम नम्बर 26 में (रेडीमेड आइटम) व 42 में (रबड़ गेंद) उपलब्ध थे या नहीं थे। उक्त आईटमों का गठित टीम द्वारा सही सत्यापन किया जावे। इस बिन्दु पर प्रकरण पुनः जांच हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को मूल्यांकन सीमा तक ही अपास्त किया जाकर, सत्यापन रिपोर्ट आने के

पश्चात पुनः मूल्यांकन हेतु एवं आइटम नम्बर 26 (रेडीमेड आइटम) व 42 (रबड़ गेंद) की जांच बाबत सशक्त अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा प्रकरण उपरोक्तानुसार सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष